न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल, जिला जालोर।

पीठासीन अधिकारीः मदन सिंह चौधरी, आर.जे.एस

10 वर्ष से अधिक अवधि पुराना प्रकरण।

निर्णय दिनांक	-	**26.05.2026**
फौज. मूल प्र.सं.	-	**01/2016**
सी.आई.एस नंबर	-	**929/2016**
सी.एन.आर. नंबर	-	**RJJL060000032016**
प्रथम सूचना रि. सं.	-	**403/2015**
अंतर्गत धारा	-	**279, 337, 304 ए भारतीय दंड संहिता व 134/187 मोटरयान अधिनियम**
पुलिस थाना	-	**भीनमाल**

अभियोगीः-

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी, भीनमाल।

उपस्थितः-

श्रीमान अभियोजन अधिकारी राज्य की ओर से।

ब ना म

अभियुक्तः-

01. मोहनलाल पुत्र राजाराम, निवासी सिकवाड़ा, पुलिस थाना रामसीन, जिला जालोर।

उपस्थितः-

श्रीमान बालूराम चौधरी- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

-प्रकरण का संक्षिप्त विवरण-

अपराध की तिथि	16.10.2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	21.10.2015
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	02.01.2016
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	15.06.2016
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	16.01.2017
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	26.05.2026
निर्णय की तिथि	26.05.2026

-अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची-

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
पीडब्ल्यू 1	भोलाराम	ताईद एफआईआर (पक्षद्रोही)
पीडब्ल्यू 2	भानाराम	चश्मदीद गवाह (पक्षद्रोही)
पीडब्ल्यू 3	राजाराम	मौतबीर घटनास्थल निरीक्षण (पक्षद्रोही)
पीडब्ल्यू 4	लूणदान	तफतीशी हालात
पीडब्ल्यू 5	पूनमाराम	चश्मदीद गवाह (पक्षद्रोही)
पीडब्ल्यू 6	रामचंद्र	मौतबीर वाहन जब्ती
पीडब्ल्यू 7	किरण कुमार	गुजराती पंचनामा कागजात का हिंदी में रूपान्तरण करना
पीडब्ल्यू 8	ओमाराम	एमटीओ रिपोर्ट देना

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति

-अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची-

क. अभियोजन

क्रम सं.	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1.	पुलिस रिपोर्ट	प्रदर्श पी.1
2.	फर्द नक्शा मौका	प्रदर्श पी.2
3.	पुलिस बयान भोलाराम	प्रदर्श पी.3
4.	पुलिस बयान भानाराम	प्रदर्श पी.4
5.	पर्चा चाक एफआईआर	प्रदर्श पी.5
6.	फर्द जब्ती टैम्पों टाटा एसीई रजि. संख्या आरजे 16 टीए 0518	प्रदर्श पी.6
7.	फर्द जब्ती वाहन स्कॉर्पियो रजि. संख्या आरजे एपी 31 एयू 3773	प्रदर्श पी.7
8.	133 एमवी एक्ट का नोटिस वाहन स्कॉर्पियो मालिक लीलाराम	प्रदर्श पी.8
9.	133 एमवी एक्ट का नोटिस वाहन टाटा कार मालिक वचनाराम	प्रदर्श पी.9
10.	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट वाहन संख्या एपी 31 एवाई 3773	प्रदर्श पी.10
11.	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट वाहन संख्या आरजे 16 टीए 0518	प्रदर्श पी.11
12.	पॉस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श पी.12
13.	मृत्यु प्रमाण पत्र	प्रदर्श पी.13
14.	गुजराती भाषा में की गयी कार्यवाही	प्रदर्श पी14 से 20
15.	पुलिस बयान पूनमाराम	प्रदर्श पी.22
16.	गुजराती भाषा के दस्तावेजों का हिंदी रूपातंरण	प्रदर्श पी.21 व 23 तथा 24 से 26
17.	शपथ पत्र किरण कुमार	प्रदर्श पी.27

ख. बचाव

क्रम सं.	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी. संख्या

- निर्णय -

दिनांक 26.05.2026

01. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी भोलाराम पुत्र जेठाजी निवासी मुंथला काबा, पुलिस थाना रामसीन ने दिनांक 21.10.2015 को वक्त 08.05 पीएम पर उपस्थित थाना होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि-

> **"दिनांक 16.10.2015 को मेरा काकाई भाई राजाराम पुत्र होतीजी जो टेम्पो में बैठकर भीनमाल से मुंथला काबा आ रहा था। टेम्पो का ड्राइवर भानाराम पुत्र वागाजी चला रहा था। जैसे ही टैम्पो चालक टेम्पो को लेकर देलवाड़ा से मुंथला काबा की तरफ पहुंचे कि देलवाड़ा सरहद में सड़क पर सामने स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर एपी 31 एयु 3773 को उसका ड्राइवर चालक तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ आया व हमारे टाटा टेम्पो को साईड में चलते हुए के टक्कर मारी जिससे टेम्पो में बैठे मेरे काकाई भाई राजाराम के शरीर पर गंभीर चोटें आई। उसकी हालत खराब होने से मैं उसका भाई होने से भीनमाल अस्पताल लेकर गया। वहां घटना के समय टेम्पो में बैठे वचनाराम पुत्र वागाजी, पुनमाराम पुत्र भलाजी देलवाड़ा ने घटना देखी। घटना के समय ये लोग टेम्पो में बैठे थे। भाई राजाराम के बच्चे छोटे हैं। भीनमाल नवकार अस्पताल से आगे रेफर करने के लिए मेहसाना गायत्री अस्पताल लेकर गये वहां से आगे रेफर करने पर अहमदाबाद में सरकारी अस्पताल वाडीलाल में लेकर गये व ईलाज हेतु भर्ती कराया जाकर ईलाज शुरू कराया गया। ईलाज के दौरान दिनांक 20.10.2015 को राजाराम की मृत्यु हो गयी जिस पर सरकारी अस्पताल वाडीलाल में पीएम कराया जाकर लाश लेकर कल देर रात्रि में गांव मुंथला काबा पहुंचे व अंतिम संस्कार सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार किया गया। आज घर पर सामाजिक रस्म निभाकर घर में दूसरा कोई वारीशान रिपोर्ट करने वाला नहीं होने के कारण मैं रिपोर्ट लेकर आया हूं। दुर्घटना के वक्त राजाराम की हालत ज्यादा खराब होने से मैं सीधा मौके पर से ईलाज हेतु भीनमाल, मेहसाणा व मेहसाणा से अहमदाबाद लेकर गया व वहां पर मृत्यु होने के पश्चात अंतिम संस्कार कर रिपोर्ट लेकर आया हूं। कार्यवाही करावें।"**

02. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना भीनमाल द्वारा अभियोग संख्या 403/2015 अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए भादसं. में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया

गया। बाद पूर्ण अनुसंधान अभियुक्त मोहनलाल पुत्र राजाराम के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 304 ए भारतीय दंड संहिता व 134/187 मोटरयान अधिनियम में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 304 ए भादसं. व 134/187 मोटरयान अधिनियम में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. न्यायालय द्वारा अभियुक्त मोहनलाल को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 304 ए भारतीय दंड संहिता व 134/187 मोटरयान अधिनियम के आरोप मौखिक रूप से सुनाए एवं समझाए गए तो अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। दौराने विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहों को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। अभियोजन साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्त के बयान तहत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये। जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताते हुए झूठा फंसाये जाने के कथन किए हैं। साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

04. बहस अंतिम विद्वान उभय पक्ष सुनी गई। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है:-

01. आया अभियुक्त मोहनलाल द्वारा दिनांक 16.10.2015 को किसी समय सरहद देलवाड़ा में सड़क पर वाहन स्कॉर्पियो संख्या एपी 31 एयु 3773 को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर सही दिशा से आ रहे वाहन टाटा मैजिक टेम्पो नंबर आरजे 16 टीए 0518 को टक्कर मारी जिससे टेम्पो में बैठे परिवादी के काकाई भाई राजाराम के साधारण उपहतियां व मृत्यु कारित हुयी तथा घायल व्यक्तियों को अभियुक्त द्वारा चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं करवायी गयी?

02. यदि हां तो उचित दण्डादेश क्या होगा ?

अवधार्य बिन्दु का विनिश्चिय:-

05. अभियोजन के विरुद्ध में व अभियुक्त के पक्ष में किया जाता हैं।

विनिश्चिय के कारण:-

06. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में परिवादी भोलाराम द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 1 दिनांक 21.10.2015 को पुलिस थाना, भीनमाल में इस आशय की पेश की गई कि-

> **"दिनांक 16.10.2015 को उसका काकाई भाई राजाराम टाटा टेम्पो में बेठकर भीनमाल से मुंथला काबा आ रहा था। टैंपो को भानाराम चला रहा था। जैसे ही टैंपो देलवाड़ा से मुंथला काबा की तरफ पहुंचा, तब देलवाड़ा सरहद में सड़क पर सामने स्कॉरपियो गाडी नंबर एपी 31 एयू 3773 को उसका चालक तेज गति एवं लापरवाही से चलाता हुआ आया तथा टैंपो को साइड में चलते हुए के टक्कर मारी, जिससे टैंपो में सवार राजाराम के शरीर पर गंभीर चोटें आईं, जिसे इलाज हेतु भीनमाल अस्पताल लाया गया। घटना के समय टैंपो में सवार वचनाराम, पुनमाराम ने घटना होते हुए देखी। घटना के समय टैंपो में ये लोग भी सवार थे। भीनमाल से राजाराम को मेहसाणा गायत्री अस्पताल लेकर गए, वहां से आगे अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया। इलाज के दौरान दिनांक 20.10.2015 को राजाराम की मृत्यु हो गई। घर में दूसरा कोई वारिसान नहीं होने से इलाज करवाने एवं अंतिम संस्कार कर सामाजिक रस्म में लगे समय के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग पांच दिन की देरी से पेश की गई।"**

इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 1 से स्पष्ट होता है कि घटना दिनांक 16.10.2015 की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वाहन चालक के नाम का कोई उल्लेख नहीं है तथा घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में वचनाराम एवं पुनमाराम के नाम का उल्लेख है।

07. उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर दर्ज पर्चा चाक एफआईआर प्रदर्श 5 है। दुर्घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श 2 रूबरू मौतबीरान राजाराम एवं धूखाराम के दिनांक 22.10.2015 को मुर्तिब किया गया है। जिसके अनुसार दुर्घटना स्थल देलवाड़ा से मुंथला काबा जाने वाले रास्ते पर रोड के बाईं तरफ ब मार्क एक्स स्थल के रूप में दर्शित किया गया है। घटना पुरानी होने से मौके पर घटना के कोई आलामात नजर नहीं आ रहे हैं, न ही टायर इत्यादि के कोई चिह्न है। दुर्घटना के बाद दोनों वाहन मौके से चले गए तथा उनकी मौके पर उपस्थिति नहीं पाई गई। दुर्घटनाग्रस्त टैंपो को जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श 6 रूबरू मौतबीरान वचनाराम एवं रामचंद्र के दिनांक 23.10.2015 एवं दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श 7 के दिनांक 30.10.2015 को पुलिस थाना भीनमाल से जब्त किया गया है। वाहन संख्या एपी 31 एयू 3773 के वाहन मालिक को

दिया गया धारा 133 मोटर व्हीकल अधिनियम का नोटिस प्रदर्श 8 है, जिसके जवाब में वाहन मालिक लीलाराम द्वारा बरवक्त दुर्घटना वाहन को मोहनलाल द्वारा चलाए जाने का जवाब पेश किया गया है। इसी प्रकार दुर्घटनाग्रस्त टेंपो के वाहन मालिक को दिया गया धारा 133 मोटर व्हीकल एक्ट का नोटिस प्रदर्श 9 है, जिसके जवाब में वाहन मालिक वचनाराम द्वारा बरवक्त दुर्घटना टेंपो को भानाराम द्वारा चलाया जाना उल्लेखित किया गया है। वाहन संख्या एपी 31 एयू 3773 का मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श 10 एवं वाहन संख्या आरजे 16 टीए 0518 का मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श 11 है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 12 है, इसके अलावा भानाराम के धारा 161 सीआरपीसी के बयान प्रदर्श 4, भोलाराम के धारा 161 सीआरपीसी के बयान प्रदर्श 3 एवं पुनमाराम के धारा 161 सीआरपीसी के बयान प्रदर्श 22 है।

08. अभियोजन पक्ष द्वारा पेश गवाहान में गवाह पीडब्ल्यू 1 भोलाराम जो कि शिकायतकर्ता है, पक्षद्रोही रहा है तथा उसके द्वारा अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं की गई है। इसी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक भानाराम भी पक्षद्रोही रहे हैं। बतौर चश्मदीद गवाह प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित व्यक्ति राजाराम एवं पुनमाराम भी पक्षद्रोही रहे हैं।

09. गवाह पीडब्ल्यू 6 फर्द जब्ती वाहन टेंपो आरजे 16 टीए 0518 की जब्ती का गवाह है, जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किए गए हैं कि

> **"मैं दिनांक 23.10.2015 को पुलिस थाना भीनमाल में कानि. के पद पर था। उस रोज प्रकरण संख्या 403/15 में आईओ श्री लूणदान ने मेरे व वचनाराम के रूबरू दुर्घटना स्थल से वाहन टेंपो आरजे 16 टीए 0518 को सुरक्षार्थ थाना परिसर में खड़े करवाए हुए को जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी 6 के जब्त किया जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है।"**

दौराने जिरह वह स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि वाहन को दुर्घटनास्थल से जब्त नहीं किया गया है।

10. गवाह पीडब्ल्यू 7 हिंदी अनुवादक होने के नाते औपचारिक गवाह है।

11. गवाह पीडब्ल्यू 8 द्वारा दोनों वाहनों का मैकेनिकल मुआयना कर रिपोर्ट प्रदर्श 10 एवं 11 तैयार की गई है, जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किए गए हैं कि-

> **"मैं दिनांक 31.10.2015 को पुलिस थाना भीनमाल में कानि. ड्राइवर के पद पर था। उस रोज मैंने वाहन संख्या एपी 31 एयू 3773 व आरजे 16 टीए 0518 का यात्रिक परीक्षण कर रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 व 11 जारी की, जिस पर**

सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं व ई से एफ हिस्से में दोनों वाहनों के क्षतिग्रस्त होने के हालात अंकित है।"

दौराने जिरह गवाह स्वीकार करते हैं कि प्रदर्श 11 में वर्णित वाहन टेंपो का आगे का भाग क्षतिग्रस्त नहीं था, बल्कि साइड का भाग क्षतिग्रस्त था। टेंपो का पीछे का भाग क्षतिग्रस्त नहीं था। बाएं तरफ का भाग भी क्षतिग्रस्त नहीं था। टेंपो के दाहिनी तरफ अगली फाटक क्षतिग्रस्त हो रखी थी। टेंपो अंदर क्षतिग्रस्त नहीं होकर केवल बाहर से ही क्षतिग्रस्त था।

12. प्रकरण के अनुसंधानकर्ता लूणदान बतौर पीडब्ल्यू 4 परीक्षित हुए हैं, जिनके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किए गए हैं कि-

"मैं दिनांक 21.10.2015 को पीएस भीनमाल में एएसआई के पद पर पदस्थापित था। उस रोज थानाधिकारी अशोक आंजणा थे। जिन्होंने रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पर मुकदमा दर्ज किया जिस पर ए से बी अशोक जी के हस्ताक्षर हैं, जिसकी पर्चाचाक एफआईआर प्रदर्श पी 5 जारी की जिस पर ए से बी अशोक आंजणा के हस्ताक्षर हैं। अनुसंधान हेतु पत्रावली मुझे प्राप्त होने पर मैंने घटनास्थल का मौका देखा व नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 बनाया जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर हैं। दुर्घटनाग्रस्त टेंपो आरजे 16 टीए 0518 व स्कॉर्पियो पीबी 31 एवाई 3773 जो जरिए फर्द प्रदर्श पी 6 व 7 के जब्त किया, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। गवाहों के बयान उनके कथनानुसार लिए। स्कॉर्पियो मालिक लीलाराम को 133 एमवी एक्ट नोटिस प्रदर्श पी 8 दिया जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं, सी से डी लीलाराम के हस्ताक्षर व ई से एफ जवाब है। टाटा टेंपो के मालिक वचनाराम को 133 एमवी एक्ट नोटिस प्रदर्श पी 9 दिया, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं, सी से डी वचनाराम के हस्ताक्षर व ई से एफ जवाब है दोनों वाहनों का एमटीओ करवाकर एमटीओ रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 व पी 11 शामिल पत्रावली की, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। मृतक राजाराम के पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 12 शामिल पत्रावली की। मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 13 शामिल पत्रावली किया। मृतक राजाराम के लाश के कागजात, पंचनामा लाश, फर्द सूरतलाश व सुपुर्दगी लाश के कागजात तैयार किए, जो क्रमशः प्रदर्श पी 14 से पी 20 व हिंदी रूपांतरण कुल 18 पृष्ठों में हैं। प्रदर्श पी 21 हिंदी रूपातंरण को शामिल पत्रावली किया। बाद अनुसंधान मैंने मुलजिम मोहनलाल के विरुद्ध धारा 279, 337,

304 ए भारतीय दंड संहिता व 134/187 एमवी एक्ट में जुर्म प्रमाणित मानकर पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द की, जिन्होंने आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया।"

दौराने जिरह गवाह स्वीकार करते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन स्कॉर्पियो के वाहन चालक का नाम लिखा हुआ नहीं है। प्रदर्श पी 1 पर पृष्ठांकन उनके हाथ का लिखा हुआ नहीं है। किसके हाथ का लिखा हुआ है, उन्हें पता नहीं। प्रदर्श पी 1 के पृष्ठांकन में भी मुलजिम का नाम लिखा हुआ नहीं है। प्रदर्श पी 5 में मुलजिम का नाम लिखा हुआ नहीं है। दुर्घटना स्थल का मौका भोलाराम ने दिखाया था। भोलाराम वक्त घटना मौके पर उपस्थित नहीं था। प्रदर्श पी 2 पर घटना के चश्मदीद गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रदर्श 2 मुर्तिब किए जाते वक्त दुर्घटना कारित करने वाली स्कोर्पियो वाहन मौके पर नहीं था। घटनास्थल से कोई वस्तु वजह सबूत कब्जा पुलिस नहीं ली गई। वह नहीं बता सकते कि स्कॉर्पियो के किस हिस्से पर रगड़ लगी हुई थी तथा कौनसा पार्ट टूटा हुआ था।

13. इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य के समग्र रूप से अध्ययन, अवलोकन एवं विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष के सभी महत्वपूर्ण गवाहान पक्षद्रोही रहे हैं तथा उनके द्वारा घटना की पुष्टि नहीं की गई है। दुर्घटनास्थल से दुर्घटना के कोई आलामात नहीं मिले है तथाकथित रूप से दुर्घटना कारित करने वाले वाहन संख्या एपी 31 एयू 3773 पर दुर्घटना होने के कोई आलामात नहीं मिले है। दुर्घटनास्थल से कोई वाहन जब्त नहीं किया गया है, न ही दुर्घटना स्थल पर दुर्घटना के कोई आलामात मिले है। बरवक्त दुर्घटना अभियुक्त द्वारा वाहन चालन किए जाने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाए जाने पर अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-आदेश-

14. परिणामस्वरूप अभियुक्त मोहनलाल पुत्र राजाराम, निवासी सिकवाड़ा, पुलिस थाना रामसीन, जिला जालोर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 304 ए भारतीय दंड संहिता व धारा 134/187 मोटरव्हीकल अधिनियम में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। इसके साथ ही धारा 437 ए के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब करने पर अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पांच हजार रूपये की जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगीनामा जमानतनामा पर दिये हुए हैं जो बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन के सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा निरस्त समझे जावें।

(मदनसिंह चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीनमाल, जालोर (राज.)

15. निर्णय आज दिनांक 16.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं अभिघोषित किया गया।

(मदनसिंह चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीनमाल, जालोर (राज.)